



13 मई 2026

जमा बीमा योजना, 1961 - पंजीकरण रद्द करना - सर्वोदय को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड., मुंबई, महाराष्ट्र.

Deposit Insurance Scheme, 1961 - Cancellation of Registration - Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 12 मई 2026 के आदेश CO.DOR.MON.LC-03/12.21.158/2026-2027 द्वारा **सर्वोदय को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड., मुंबई, महाराष्ट्र** का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक **12 मई 2026** को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकता है।

The Reserve Bank of India (RBI), vide order CO.DOR.MON.LC-03/12.21.158/2026-2027 dated May 12, 2026, 2026 has cancelled the license of **Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra**. The bank ceases to carry on banking business, with effect from the close of business on **May 12, 2026**.

2. परिणामस्वरूप, बीमित बैंक के रूप में बैंक का पंजीकरण **12 मई 2026** की तारीख को रद्द कर दिया गया है।

Consequently, the registration of the bank with Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) stands cancelled with effect from **May 12, 2026**.

3. कृपया नोट करें कि डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, निगम बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को, उस समय जब इस प्रकार का आदेश दिया जाता है अर्थात् **12 मई 2026**, उस बैंक में उसकी जमा राशि के संबंध में उसे देय राशि के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते कि बैंक

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट/ Website: www.dicgc.org.in
ई-मेल/ Email : dicgc@rbi.org.in

के पंजीकरण को रद्द करने की तारीख पर निगम द्वारा किसी जमाकर्ता को उसकी जमा राशि के संबंध में देय कुल राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में ₹ 5 लाख तक सीमित होगी।

Please note that in terms of Section 16 of the DICGC Act, the Corporation is liable to pay to every depositor of Sarvodaya Co-operative Bank Ltd., Mumbai, Maharashtra an amount equal to the amount due to him in respect of his deposit in that bank at the time when such order is made i.e., **May 12, 2026**, provided that the total amount payable by the Corporation to any one depositor in respect of his deposits as on the date of the cancellation of the registration of the bank shall be limited to ₹ 5 lakhs in the same capacity and in the same right.

एन. अरुण विष्णु कुमार
निदेशक (ई)

प्रेस विज्ञप्ति/Press Release: 2026-2027/5